न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 05/2023

1 देशराज पुत्र सत्यवीर जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 बलवान पुत्र प्रभूदयाल
2 ओमवीर पुत्र जगदीश प्रसाद
3 राजवीर पुत्र सत्यवीर
4 अशोक कुमार पुत्र रामकुमार
5 चन्द्रावली पत्नी नान
6 नित्यानन्द पुत्र प्रहलाद
7 निरंजन पुत्र प्रहलाद
8 मुकेश पुत्र प्रहलाद
9 रेशमी पत्नी प्रहलाद
10 संतोष पुत्री प्रहलाद
11 हवासिंह पुत्र प्रहलाद
12 प्रताप पुत्र मोहन
13 राजपाल पुत्र मोहन
14 शांति पत्नी मोहनलाल
15 सहीराम पुत्र मोहन
16 बलवान पुत्र हनुमान
17 भोलाराम पुत्र हनुमान
18 मंजु पुत्री हनुमान
19 राजेश पुत्र हनुमान
20 राजूसिंह पुत्र हनुमान
21 शीशराम पुत्र रामकुमार
22 सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

23 सुरेश कुमार पुत्र रामकुमार
24 सविता पत्नी अशोक कुमर
समस्त जाति अहीर निवासीगण खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
25 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 19.12.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी देशराम बनाम बलवान वगै. मु.नं. 381/2022 जीसीएमएस नम्बर 2022/587 प्रा.पत्र अस्थाई नि.

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 16/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 381/2022 में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 426 रकबा 2.27 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम खान्दवा तहत तहसील बुहाना

अनिल कुमार
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

में स्थित है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.12.2022 को अंतिम निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अंतिम रूप से खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की। कानून से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अंतिम निर्णय में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं की अलग अलग विस्तृत विवेचना करते हुये अंतिम निर्णय पारित करना चाहिये। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधान के अनदेखी कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलान्ट के पक्ष में नहीं मानने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट जमीन हाल खसरा नम्बर 426 रकबा 2.27 हैक्टेयर में से 163,219/1316600 हक हिस्से का खातेदार है विवादित जमीन का खातेदारों के मध्य कोई विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। जमीन में विधिवत विभाजन से पहले किसी व्यक्ति को जमीन के विशेष भू–भाग पर निर्माण करने की कानून इजाजत नहीं देता है। अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 के विरूद्ध जमीन के बिना विधिवत विभाजन के सड़क के पास विशेष भू–भाग पर निर्माण करने की कोशिश का आरोप लगाया है। इस प्रकार अपीलान्ट का प्रथम दृष्ट्या मामला है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने का कोई कानूनी आधार दर्ज नहीं किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय में माना है कि विवादित जमीन संयुक्त खातेदारी की है तथा खाता विभाजन भी नहीं होना माना है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में यह भी माना है कि वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण पक्षकारान के कब्जे काश्त कि स्थिति स्पष्ट नहीं है तथा निर्णय में विचारण न्यायालय ने यह भी माना है कि वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकार्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा। विचारण न्यायालय ने

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपने स्वयं के निर्णय में उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया होना माना है उसके बावजूद भी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गलत रूप से खारिज की है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 19.12.2022 खारिज किया जावे एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा रिलिफ के मुताबिक स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 को तादौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता संख्या 349 ग्राम खान्दवा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से खाता विभाजन नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 05.11. 2019 को कृष्ण कुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी खान्दवा को अपने 74/174 भाग में से 1358/22700 भाग का बेचान कर दिया है जो पत्रावली पर उपलब्ध फोटो विक्रय पत्र से साबित है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि का विधिवत खाता विभाजन नहीं होने के कारण पक्षकारान/खातेदारान के कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकार्ड के आधार पर मूलवाद में किया जाना है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता संख्या 349 ग्राम खान्दवा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से खाता विभाजन नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 05. 11.2019 को कृष्ण कुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी खान्दवा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को अपने 74/174 भाग में से 1358/22700 भाग का बेचान कर दिया है जो पत्रावली पर उपलब्ध फोटो विक्रय पत्र से साबित है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद नहीं हुआ है।

वादग्रस्त भूमि का विधिवत खाता विभाजन नहीं होने के कारण पक्षकारान/खातेदारांन के कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकार्ड के आधार पर मूलवाद में किया जाना है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमे हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर